कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

//उद्‌घोषणा//

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

(कमांक–30 सन् 2013 की धारा–19 (1) के अंतर्गत)

कमांक/112/भू–अर्जन/17, खरगोन, दिनांक 14/3/2017

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:अनुसूची– (1)

1– भूमि का वर्णन:–

(क) जिला खरगोन
(ख) तहसील सनावद
(ग) ग्राम बेडिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.680 हे0

कमांक	खसरा नंबर	रकबा (हे0 में)
1	2	3
1	579/1	0.364
2	638/1	0.072
3	638/2	0.172
4	638/4	0.072
कुल योग	4	0.680

:अनुसूची–(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की :– आवश्यकता है	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु

:अनुसूची–(3)

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा–19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1– वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः–

(1) रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपये 3,00,000/– प्रति एकड।

(ब) Ex – Gratia रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(स) विशेष अनुदान रूपये 50,000/– प्रति एकड़।

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/– प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक 5–5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपये 5,00,000/– देय होगा।

2– ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें:–

कार्य योजना के बिंदु क्रमांक–12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/– प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित।

3– खेतों में आवागमन हेतु मार्गः–

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरूद्ध होगे वहॉ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4– शेष बची भूमि का अधिग्रहणः–

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जायेगा।

5– <u>सिंचाई हेतु पाईप–लाईन निकालने की अनुमतिः–</u>

सिंचाई के लिए पाईप–लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप–लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6– <u>संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः–</u>

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रूपये 25,000/– प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7– <u>विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):–</u>

अ. जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

ब. प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रूपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रूपये 2.50 लाख प्रति एकड भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8– <u>प्रशिक्षणः–</u>

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू–विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाऐं आयोजित की जावेगीः–

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस–पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रायोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जायेगा।

9– भूमि विकास राशिः–

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू–विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रूपये 16,000/–प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10– छात्रवृत्तिः–

प्रभावित परिवार के छात्र–छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11– स्वास्थ्य सेवाएँः–

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09.04.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अशोक कुमार वर्मा)
कलेक्टर, एवं समुचित सरकार
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग,
जिला–खरगोन,म.प्र.